

338

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(25)नविधि/3/2006

जयपुर, दिनांक 8 AUG 2013

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/
नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/पालिकाओं द्वारा विगत वर्षों में ई.डब्ल्यू.एस.
एल.आई.जी. एवं मध्यम वर्ग के मकानों पर मासिक किरातों का भुगतान समय पर नहीं किये
जाने के कारण ब्याज राशि एवं शास्ति में दिनांक 30.06.2013 तक छूट प्रदान किये जाने के
आदेश प्रदान किये गये थे।

राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 के तहत
प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए उक्त छूट की अवधि आदेश जारी होने की तारीख से
दिनांक 30.09.2013 तक बढ़ाई जाकर नियमितिकरण किये जाने की शासकीय स्वीकृति
एतद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर..... (राजस्थान)।
7. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/अधिकारीमण, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
9. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास..... (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय